न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–863/2026

CNRNo.UPGD010026312026

1–मीना उम्र करीब 35 वर्ष पत्नी शिव प्रसाद उर्फ गुरू प्रसाद,

2–शिव प्रसाद उर्फ गुरू प्रसाद उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र रघुनाथ,

निवासीगण–ग्राम परसौहना बेसहूपुरबेलांवा, थाना–मोतीगंज, जिला–गोण्डा।

..... **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।**

बनाम

सरकार उ०प्र०। ..... **विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या–226/2025
धारा–115(2), 351(3), 352, 118(1) बी०एन०एस० व
3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना–मोतीगंज, जिला–गोण्डा।

दिनांक–10.07.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मीना व शिव प्रसाद उर्फ गुरू प्रसाद** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–226/2025, धारा–115(2), 351(3), 352, 118(1) बी०एन०एस० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–मोतीगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण दिनांक–09.04.2026 से अन्तरिम जमानत पर हैं और आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा लक्ष्मी द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना–मोतीगंज, जनपद–गोण्डा में दी गयी कि प्रार्थिनी लक्ष्मी पत्नी राजेन्द्र ग्राम परसोहना बेसहूपुर, थाना–मोतीगंज गोण्डा की हूँ, पुरानी रंजिश है उसी रंजिश को लेकर दिनांक–16.11.2025 को समय करीब एक बजे दिन में गांव के विपक्षी गुरू प्रसाद पुत्र भुल्ले, गुरू प्रसाद की पत्नी, पिंकी, दिनेश चारों लोग हमें भद्दी–भद्दी गाली दिया जब गाली देने से मना किया तो हमें मूका, थपरा, डंडा से मारा पीटा, शोर किया तो तमाम लोग आये बचाने, तब विपक्षीगण जान से मार डालने की धमकी देते हुए चले गये। सूचना दे रही हूँ मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करें।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–मोतीगंज, जिला–गोण्डा में दिनांक–19.11.2025 को 12.32 बजे, गुरू प्रसाद, गुरू प्रसाद की पत्नी, पिंकी व दिनेश के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस०, पंजीकृत की गयी।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष व बेगुनाह है इन्हें रंजिशवश फर्जी मुकदमें में फंसा दिया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब 03 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि कथित घटना फर्जी व बनावटी है। वास्तविक तथ्य यह है कि वादिनी मुकदमा के विपक्षी का प्रार्थी शिव प्रसाद उर्फ गुरू प्रसाद ने एक मुकदमें में जमानत ले लिया था इस रंजिश के कारण प्रार्थीगण को झूंठा व फर्जी घटना बनाकर झूंठे मुकदमें में

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.15 17:07:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फंसा दिया है, जिससे प्रार्थीगण का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा वादिनी मुकदमा को जाति सूचक गाली देने व जाति व जाति सूचक अपराध के संबंध में कोई जिक्र वादिनी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि कथित घटना झूंठी, मनगढन्त व बनावटी है, जिससे प्रार्थीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण ने न तो वादिनी मुकदमा को जाति सूचक गाली दिया है और न ही लात मूका, थप्पड़ से मारा पीटा है तथा न ही जान से मारने की धमकी दी है, सिर्फ रंजिशवश फंसाया गया है। प्रार्थीगण पर लगाये गये आरोप जमानतीय प्रकृति के है। प्रार्थीगण पर लगाये गये आरोप श्रीमान् जी द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थीगण पर लगाये गये आरोप फर्जी मनगढन्त व बनावटी है। प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। प्रार्थीगण जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण को उचित जमानत पर रिहा किया जाने की कृपाज्ञा की जावे।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचक लक्ष्मी द्वारा दिनांक–16.11.2025 को आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने व जान माल की धमकी देने के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। केस डायरी में संलग्न मजरूबा लक्ष्मी की आघात आख्या को संलग्न किया गया है, जिसमें मजरूबा को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है। सम्बन्धित थाने से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर है, उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है, शेष अन्य बातें साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **मीना व शिव प्रसाद उर्फ गुरू प्रसाद** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–226/2025 धारा–धारा–115(2), 351(3), 352, 118(1) बी०एन०एस० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट , थाना–मोतीगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–863/2026 **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–20,000–20,000/–रूपये (बीस–बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–10.07.2026

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,

गोण्डा।

JO Code-UP1751